



Neutral Citation No. - 2026:AHC:135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18272 वर्ष 2025

उद्धम सिंह गुर्जर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शांतनु

प्रतिवादी के अधिवक्ता: दीपक दुबे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री शांतनु की ओर से उपस्थित श्री आर.के. धामा, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री दीपक दुबे और सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह की दलीलें सुनीं।

2. यह तीसरी जमानत याचिका है। इससे पहले दो जमानत याचिकाएं क्रमशः 10.4.2024 और 8.8.2024 के आदेशों द्वारा निस्तारित कर दी गई थीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 और 120 के तहत केस संख्या 344/2018 में जमानत के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर की है। मामला पुलिस स्टेशन-नवबाद, जिला-झांसी का है।

4. स्थिति रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय पाता है कि मुकदमा अंतिम चरण में है, क्योंकि आरोपी के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए जा चुके हैं और बचाव पक्ष के गवाहों के लिए सुनवाई निर्धारित है। फिर भी, यह देखते हुए कि आवेदक लगभग 7 वर्षों से जेल में है, इसलिए माननीय विचारण न्यायालय को उचित समय पर मुकदमे को समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है और यदि मुकदमा तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो आवेदक को विद्वान विचारण न्यायालय या सलाह दी गई किसी अन्य न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता होगी।

5. तदनुसार, इस जमानत याचिका का निस्तारण किया जाता है।

5 जनवरी 2026

एसबी

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।